



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022021-225057  
CG-DL-E-10022021-225057

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942

No. 557]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

का.आ. 609(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4114, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में NH-244 के डिज़ाइन कि.मी. 31.155 से कि.मी. 31.449 (खेल्लानी बाईपास टनल पहुच रोड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (2-लेन), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 2 दिसंबर 2020 & 3 दिसंबर, 2020 को "हिन्द समाचार" और "डेली एक्सेल्लिसियर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के डोडा जिले में NH-244 के डिज़ाइन कि.मी. 31.155 से कि.मी.31.449 (खेल्लानी बाईपास टनल पहुच रोड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

| राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर |                     |                | जिले का नाम: डोडा                       |                                  |                                                                |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| क्रमिक संख्या                 | सर्वेक्षण संख्या    | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति                         | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम                             |
| 1                             | 2                   | 3              | 4                                       | 5                                | 6                                                              |
|                               | तालुक का नाम: डोडा  |                |                                         |                                  |                                                                |
|                               | गांव का नाम: परयोटे |                |                                         |                                  |                                                                |
| 1                             | 1 मीन               | सरकारी         | प.डी.स / स्टेट लैंड (बारेन राँकी एरिया) | 0.6273000                        | गवर्मन्ट ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर प डी स लैंड (१)                  |
| 2                             | १००८/९१ मीन         | अन्य           | शामलात देह मकबूज़ान मालिकान             | 0.7815000                        | रेवेन्यू डिपार्टमेंट गवर्मन्ट ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर ( १२५२/२४८) |
|                               |                     |                | कुल                                     | 1.4088                           |                                                                |

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Kishtwar/DPR/khellani-bypass/pariyot/LA/2020-21/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2021

**S.O. 609(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 4114**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (2-lane), maintenance, management and operation of NH-244 on the stretch of land from design Km. 31.155 to Km. 31.449 (Khellani Bypass Tunnel and its approach road) in the district of DODA in the state of JAMMU & KASHMIR.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Hind Samachar**” and “**Daily Excelsior**” both dated **02.12.2020 & 03.12.2020**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-244 in the stretch of land from design Km. 31.155 to Km. 31.449 (Khellani Bypass Tunnel and its approach road) in the district of DODA in the state of JAMMU & KASHMIR**

| State: JAMMU & KASHMIR |                  |              | District: DODA                      |                 |                                                                 |
|------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sr. No.                | Survey Number    | Type of Land | Nature of Land                      | Area in Hectare | Name of the Land Owner/Interested Person<br>Part Survey No.     |
| 1                      | 2                | 3            | 4                                   | 5               | 6                                                               |
|                        | Taluk: Doda      |              |                                     |                 |                                                                 |
|                        | Village: Paryote |              |                                     |                 |                                                                 |
| 1                      | 1 min            | Government   | PDC/ State Land (Barren rocky area) | 0.6273000       | Government of Jammu and Kashmir (P.D.C Land)<br>1               |
| 2                      | 1008/91 min      | Common       | Shamlat Deh makboozan malikaan      | 0.7815000       | Revenue Department, Government of Jammu and Kashmir<br>1252/248 |
|                        |                  |              | <b>TOTAL</b>                        | <b>1.4088</b>   |                                                                 |

[F. N. NHIDCL/PMU-Kishtwar/DPR/khellani-bypass/pariyot/LA/2020-21/3D]

RAJESH GUPTA, Director